

— प्रांतेवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 06/05/2028

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 24 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 ता 5, 10 ता 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क. वादी सं. 1 रोहताश :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
47 एनडीआर	61/346	21/2/.202, 22 ता 25 20/2/.026, 19/.033, 18/.032, 17/.033, 16/.032द.	1.370 हैक्.

3

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



क्र.	वादी सं.	चक	प.नं.	किला	तादादी
	4 यू.एम.डब्ल्यू		62/346	21/.1265 दक्षिणी	0.1265 हैक्.
			17/205	20/.221, 21, 19/.020, 22/.033	1.4965 हैक्.
ख.	वादी सं. 2 अनिल कुमार :-				0.527 हैक्.
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	47 एनडीआर		62/346	8/.2525, 13, 18, 23	
	4 यू.एम.डब्ल्यू		17/205	22/.127, 20, 11/.1055	1.497 हैक्.
			19/.201, 22/.220,		
			18/.053, 23/.053		0.527 हैक्.
ग.	वादी सं. 4 सुभाष :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	47 एनडीआर		61/346	20/2/.176, 19/.220, 18/.221,	
			62/346	17/.220, 16/.221 उ.	
				15/.1645,	1.2225 हैक्.
				21/.1265 उ., 11/.1475	0.274 हैक्.
				कुल तादादी	1.4965 हैक्.
घ.	वादी सं. 10 उमेश :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	47 एनडीआर		61/346	5/2/.228, 14/.0465,	
			62/346	15/.0885	0.363 हैक्.
				1 ता 3, 8/.0005,	0.7595 हैक्.
				कुल	1.1225 हैक्.
ङ.	वादी सं. 7 सुनील कुमार पुत्र कृष्णलाल :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	47 एनडीआर		61/346	6	0.253 हैक्.
			62/346	9, 10, 12, 19/.1105	0.8695 हैक्.
				कुल	1.1225 हैक्.
च.	वादी सं. 8 मुकेश, वादी सं. 9 विशाल को ब.हि.ब. :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	47 एनडीआर		61/346	1/3/.101, 7 ता 9, 10/2,	
			62/346	11/2, 12, 13, 14/.2065	1.9765 हैक्.
				19/.1425, 22/.126	0.2685 हैक्.
				कुल	2.245 हैक्.
छ.	वादी सं. 6 संदीप कुमार :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	4 यू.एम.डब्ल्यू		17/205	1/.253, 10/.1425	0.3955 हैक्.
झ.	वादी सं. 8 मुकेश :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	4 यू.एम.डब्ल्यू		17/205	10/.1105, 11/.253	0.3955 हैक्.
				20/.032	
ट.	वादी सं. 11 योगेश :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	4 यू.एम.डब्ल्यू		17/205	2/.253, 9/.1425	0.3955 हैक्.
ठ.	वादी सं. 8 विशाल :-				
	चक		प.नं.	किला	तादादी
	4 यू.एम.डब्ल्यू		17/205	9/.1105, 12,	0.3955 हैक्.
				19/.032	



ड	वादी सं. 5 पंकज कुमार :- चक 4 यूएमडब्ल्यू	प.नं. 17 / 205	किला 13 / 1 / .127, 18 / .200, 23 / .200	तादादी 0.527 हैक्.
ढ.	प्रतिवादी सं. 4 महेन्द्र कुमार :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 20, 21	तादादी 0.506 हैक्.
ण.	प्रतिवादी सं. 3 ओमप्रकाश :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 18, 23, 13 / .0825 द. 22, 19 / .198 द.	तादादी 1.0395 हैक्.
त.	वादी सं. 3 रवि कुमार :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 9 / .2255, 12, 19 / .055	तादादी 0.5335 हैक्.
थ	वादी सं. 5 पंकज कुमार :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 10, 11, 9 / .0275	तादादी 0.5335 हैक्.
द.	प्रतिवादी सं. 5 इन्द्राज :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 1, 2	तादादी 0.506 हैक्.
ध.	प्रतिवादी सं. 10 कृष्ण :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 15, 16, 25, 6 / .0205	तादादी 0.7795 हैक्.
न	प्रतिवादी सं. 11 रघुवीर :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 14, 17, 24, 7 / .0205	तादादी 0.7795 हैक्.
प.	प्रतिवादी सं. 12 राय सिंह :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 4 / 1, 4 / 3, 4 / 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / .180, 7 / .181	तादादी 0.842 हैक्.
फ.	प्रतिवादी सं. 13 बृजलाल :- चक 1 एसपीएम	प.नं. 34 / 196	किला 6 / .0525, 7 / .0515, 3, 8, 13 / .1705	तादादी 0.7805 हैक्.
ब	चक 1 यूएम.डब्ल्यू के खाता सं. 17 के मु.नं. 2 के किला नं. 5/2, 6/3 कुल 0.190 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 ख्यालीराम का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 मनफुलराम का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 ता 13 को ब.हि.ब. प्राप्त			

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा/सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने तथा मूल वाद निर्णय हो जाने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण मे कनफर्म स्थगन आदेश निरस्त समझा जायेगा।

3  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3  
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा